कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:म–17/सीएफओ/जीबीएन–09(जीएन) 1780 दिनांक:सितम्बर 7 2012

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स ज्येष्ठता प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–26/1, सेक्टर–नालेज पार्क–3 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक मैसर्स ज्येष्ठता प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: निल के माध्यम से प्लाट न0–26/1, सेक्टर–नालेज पार्क–3 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित आई0टी0, होटल, क्लब, आवासीय अपार्टमेन्ट, एवं कामर्शियल ब्लाक भवन निर्माण के सम्बन्ध मे **संशोधित** मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रो का अध्ययन सुसंगत मानको के अनुसार किया गया तो प्रश्नगत भवनो को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 24–06–2009 के द्वारा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा वर्तमान मे पूर्व के एरिया मे पुन: संशोधन प्रस्तावित किये गये है जिनका विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना–

कुल प्लाट एरिया–40,449.84 वर्ग मी0 है जिसका एरिया विवरण निम्नवत है:–

कमांक	नाम तल	आईटी ब्लाक	आवासीय ब्लाक	कामर्शियल	होटल	क्लब
1	भूतल	5498.67	1115.18	3211.62	456.25	1044.50
2	प्रथम	5100.61	1036.99	2992.59	441.11	1026.86
3	द्वितीय	5560.49	1003.47	2816.61	441.11	795.84
4	तृतीय	5557.76	936.93		441.11	734.32
5	चतुर्थ	5901.79	936.91		457.02	799.87
6	पाचवा	5551.83	936.91		441.11	799.87
7	छटा	5895.86	936.91		441.11	799.87
8	सातवा	5547.20	936.91		441.11	799.87
9	आठवा	5475.52	936.91			799.87
10	नवा	2184.66	936.91			799.87
11	दसवा	1041.92	936.91			
12	ग्यारह	–	936.91	–	–	–
13	बारह	–	936.91	–	–	–
14	तेरह	–	936.91	–	–	–
15	मम्टी	334.53	86.13	61	25.97	52.80

CFO
GBN

16	बेसमेन्ट	27,149.21 वर्ग मी0।					
	ऊँचाई	45.00	44.95	15.00	29.30	30.00	

ढाँचागत व्यवस्था:–

1–पहुच मार्ग:– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 3
0 मी0 रोड की चौडाई अंकित की गई है।
2–प्रवेश द्वार:– प्रवेश द्वार की चौडाई–5.00 मी0 जो मानक के अनुसार है।
3– सैटबेक:– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–
ए0–अग्रभाग–25.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–20.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–20.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 है,

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवन मे सैटबेक भवन विनियमावली मानक के अनुसार है जो सदैव अवरोध मुक्त रखे ज तथा प्रत्येक टावर मे चारो ओर फायर सर्विस वाहनो के मोटरेबुल हेतु अवरोध मुक्त रखे जाने अनिवार्य होगे जिसमे किसी प्रक का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।
4– निकास मार्ग:–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे 02–02 स्टेयर प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 मी0 पूर्व स्वीकृत मानचित्र : अनुसार कराई जानी अनिवार्य है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।
5– रिफ्यूज एरिया– आई0टी0, होटल एवं क्लब भवन मे रिफ्यूज एरिया के प्राविधान मानको के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

अग्निशमन व्यवस्थाऐं:– प्रस्तावित भवन मे इस कार्यालय के संमाक पत्र दिनांक:21–11–2011 के अनुसार प्रस्तावित अग्निश व्यवस्थाऐ प्रत्येक ब्लाक मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया– 2005 के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।
1–भूमिगत टैंक: प्रश्नगत भवन हेतु अलग भूमिगत टैंक 3,00,000.00 तीन लाख ली0, क्षमता का स्थापित कराया वॉच्छनीय है।
2–पम्पस– प्रश्नगत भवन के अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 02 अदद मेन पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के विद्युत चालित पम्प, अदद डीजल चालित पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता का एन0बी0सी0 मानको के अनुर स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।
3–होजरील:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, व साधार ब्रान्च पाइप का प्राविधान आई0एस0 3844–1993 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
4–वेटराइजर /डाउन कामर:– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे 150 एमएम डायमीटर का वेटराईजर/ डाउनकामर सिस्टम स्थापि कराया जाये तथा परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट द एन0बी0सी0 प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
5–एलार्म सिस्टम:– प्रत्येक ब्लाक मे सम्पूर्ण भवन मे ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम तथा मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रि फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया जाना वॉच्छनीय है, फाल्स सीलिंग का प्रयोग करने प अन्दर व बाहर की तरफ डिटेक्शन व स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 के मानको के अनुसार अनिवार्य हैं।
6– आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– समस्त ब्लॉक मे सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीर है।
7– टेरिस टैंक:– प्रत्येक ब्लॉक मे प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 20,000 हजार ली0, क्षमता एन0बी0सी0 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

CFO/9
GBN

8– प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानको के अनुरूप है।
9–वेन्टीलेशन :– प्रस्तावित भवन में वेन्टीलेशन की व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट–8 के अनुसार स्थापित की जाय । मेकेनिकल वेन्टीलेशन व्यवस्था में इन्टरलोकिंग की व्यवस्था मानकों के अनुरूप स्थापित की जाय। स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम की व्यवस्था एन0बी0सी के अनुसार समस्त भवन मे स्थापित की जाय।

10–एयरकन्डीशनिंग सिस्टमः– प्रस्तावित भवन में एयरकन्डीशनिंग सिस्टम की व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के अनुसार स्थापित करायी जाय जिसमें स्वचालित फायर डेम्पर्स की व्यवस्था प्राविधानित हो जो स्मोक डिडेक्टर्स से जोडा जाये।
11–पी0ए0 सिस्टमः– प्रस्तावित भवन में प्रत्येक फ्लोर पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुरूप स्थापित की जाये।
12–प्रेशराईजेशनः–प्रस्तावित भवन मे समस्त निकास मार्ग, कोरिडोर, एवं लिफ्ट लाबी मे प्रेशराईजेशन की व्यवस्था एन0बी0सी0 के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

13–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः– स्मोक निकासी व्यवस्था हेतु नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार स्मोक एक्सट्रेक्शन फैन स्थपित किये जायेगे एवं स्वतंत्र डक्टो के माध्यम से धुएं को बाहर निकालने की व्यवस्था की जायेगी तथा डक्ट, वायरिंग तथा फैन अग्नि प्रतिरोधक होगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रश्नगत भवन मे निर्माण के उपरान्त प्रत्येक 06 माह मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ज्येष्ठता प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–26/1, सेक्टर–नालेज पार्क–3 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित प्रश्नगत भवन के निमार्ण हेतु **संशोधित** अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आख्या इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005, एवं उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम–2005 के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अरुण शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः1– अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– मैसर्स मैसर्स ज्येष्ठता प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–26/1, सेक्टर–नालेज पार्क–3 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।